न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 01/2022 बउनवानी प्रभूदयाल महावर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी निवासी मकान नम्बर,23, संतोष नगर, पुरोहित जी की टापरी कोटा–324002

GCMS No-2022/1

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
1.2.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.10.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. जिला सवाईमाधोपुर की तहसील वजीरपुर के ग्राम खण्डीप की दिनांक 1.1.2017 से 30.9.2017 उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा उक्त अवधि के मध्य जो भी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हुए है उनमे केता व विकेता के नाम की सूचना प्रदान करे। 2. जिला सवाई माधोपुर की तहसील वजीरपुर के ग्राम खण्डीप की दिनांक 1.1.2017 से दिनांक 30.9.2017 तक उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा उक्त अवधि के मध्य जो भी विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हुए है वह विक्रय पत्र जिन दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत/रजिस्टर्ड किया गया है उन दस्तावेजो की प्रतिया प्रदान करे। प्रदान करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन करवाया जाकर सूचना प्रदान करे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लौक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः सूकाअ/2021/10–11 दिनांक 20.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30.10.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 पर चाही सूचना का संबंध मे तहसीलदार एव उप पंजीयक वजीरपुर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध में अपीलान्ट को तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक सूकाअ/2021/135 दिनांक 23.11.2021 से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 पर चाही गयी सूचना का संबंध उप पंजीयक गंगापुर सिटी के कार्यालय से ना होकर उप पंजीयक वजीरपुर के कार्यालय से है। अपीलान्ट द्वारा अपील के मद संख्या 6 मे लिखा है कि उप पंजीयक वजीरपुर के पत्रांक/पंजीयन/2021/140 दिनांक 16.11.2021 से उक्त सूचना का संबंध उप पंजीयक वजीरपुर के कार्यालय से नही होना बताते हुए उप पंजीयक गंगापुर सिटी के कार्यालय मे सम्पर्क करने बाबत लिखा गया है,जबकि ग्राम खण्डीप उप पंजीयक वजीरपुर के क्षेत्राधिकार मे आता है। ऐसी स्थिति में उप पंजीयक गंगापुर सिटी को अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उप पंजीयक वजीरपुर के कार्यालय को अन्तरित किया जाना चाहिए था जो तत्समय नही किया जाकर दिनांक 20.1.2022 को किया गया है। जो खेदजनक है। अब उप पंजीयक वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2021 में चाही गयी सूचना 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। साथ ही दोनो लोक सूचना अधिकारियों, (उप पंजीयक गंगापुर सिटी/वजीरपुर) को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रो पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:14 IST
Reason: SelfAttested